

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

मुंबई पुलिस का दिवाली अलर्ट: ड्रोन और उड़ते लालटेन पर बैन, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Publisher

Published on 06 Oct 2025



मुंबई में इस साल दिवाली की रौनक धीरे-धीरे बढ़ रही है। गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद अब बाजार जगमग रोशनी से सजे हैं। मिठाइयों की खुशबू, सजावट की दुकानों की चहल-पहल और शॉपिंग का उत्साह हर गली-मोहल्ले में नजर आने लगा है। लेकिन इस उत्सव के बीच मुंबई पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने **ड्रोन और उड़ते लालटेन (Sky Lanterns)** को उड़ाने और बेचने पर **प्रतिबंध** लगा दिया है।

यह फैसला न केवल सुरक्षा कारणों से लिया गया है, बल्कि आगजनी और शांति भंग जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ **भारतीय दंड संहिता (IPC)** के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई में बंदी त्योहारों की भीड़, सुरक्षा प्राथमिकता पर

हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में दिवाली से पहले भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़भाड़ वाले बाजारों में लोगों की आवाजाही और शॉपिंग के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी हो जाती है। गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के बाद मुंबई पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है।

ऐसे में पुलिस ने तय किया कि किसी भी तरह के **हवाई उपकरणों या उड़ते लालटेन** से शहर की सुरक्षा में संध न लगे। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ के बीच ड्रोन या स्काई लालटेन से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियां आशंका जताती हैं कि कुछ असामाजिक तत्व इन उपकरणों का इस्तेमाल निगरानी या अवैध गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं।

ड्रोन और लालटेन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध

मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार, दिवाली के दौरान कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी **ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल्ड विमान या उड़ते लालटेन** न तो उड़ाएगा और न ही बेचेगा। यह प्रतिबंध मुंबई पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत लागू किया गया है।

पुलिस ने बताया कि ये उड़ते लालटेन अक्सर ऊंचाई पर जाकर तारों या बिजली के खंभों में फंस जाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। कई बार ये खुले क्षेत्रों में गिरकर दुकानों या झोपड़पट्टियों में आग का कारण बनते हैं।

इसी तरह, ड्रोन का इस्तेमाल कई बार अवैध रूप से फिल्मांकन, प्रतिबंधित क्षेत्रों की रिकॉर्डिंग या निगरानी के लिए किया जाता है। इसलिए पुलिस ने यह कदम एहतियातन उठाया है ताकि कोई भी घटना या दुर्घटना शहर की शांति और सुरक्षा को प्रभावित न करे।

उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ **भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना)** के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस अन्य धाराएं भी लागू कर सकती है।

पुलिस ने यह भी कहा है कि इस तरह के उल्लंघन को “लापरवाही” नहीं माना जाएगा, बल्कि “सुरक्षा से खिलवाड़” की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे दिवाली का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं।

नागरिकों से पुलिस की अपील

मुंबई पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे **जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं**। ड्रोन या स्काई लालटेन उड़ाने की बजाय पारंपरिक दीपक और रोशनी के माध्यम से त्योहार की चमक बढ़ाएं। पुलिस ने कहा कि मुंबई एक घनी आबादी वाला शहर है और किसी भी छोटी गलती से बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

साथ ही पुलिस ने लोगों को आगजनी या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत स्थानीय थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को देने की सलाह दी है। पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर 100 और 112 पर आपातकालीन स्थिति में कॉल किया जा सकता है।

इसके अलावा, त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्य बाजारों, मंदिरों और शॉपिंग इलाकों में सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई गई है।

दिवाली में सुरक्षा और परंपरा का संतुलन

मुंबई पुलिस का यह आदेश सिर्फ रोक लगाने के लिए नहीं है, बल्कि **सुरक्षा और परंपरा के बीच संतुलन** बनाए रखने की कोशिश है। शहर में पिछले वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां उड़ते लालटेन से आग लगी या ड्रोन की वजह से निजी गोपनीयता का उल्लंघन हुआ। इन घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय अत्यंत आवश्यक माना गया है।

त्योहार का असली मकसद खुशियां और रोशनी फैलाना है, न कि अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचाना। इसलिए पुलिस की यह अपील वाजिब मानी जा रही है कि लोग नियमों का पालन करें और अपने परिवार तथा समुदाय के साथ सुरक्षित दिवाली मनाएं।

दिवाली की रौनक भले ही आसमान छू रही हो, लेकिन सुरक्षा को लेकर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। मुंबई पुलिस का यह फैसला नागरिकों के हित में लिया गया है ताकि त्योहार के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।

ड्रोन और उड़ते लालटेन पर रोक शहर की सुरक्षा, पर्यावरण और आग से बचाव के लिए जरूरी कदम है। यह आदेश न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा बल्कि लोगों को यह भी याद दिलाएगा कि त्योहार की असली खुशी जिम्मेदारी से मनाने में है।